

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की दिनांक 03.04.2023 को आमन बैठक का कार्यवृत्त:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, के शा०सं० 95/छिहत्तर-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल 2010 (टी०सी०30) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का पुनर्गठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एवं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अप्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० की स्वीकृति एवं कार्यों की प्रगति हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 03.04.2023 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर-उपाध्यक्ष।
2. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
3. प्रभागगीय वनाधिकारी/नामित अधिकारी -सदस्य।
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी-सदस्य।
5. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
7. अधिशासी अभियंता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) गौतमबुद्धनगर-सदस्य सचिव।
11. मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), के प्रोजेक्ट मैनेजर

डी०पी०आर० के संबन्ध में-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2394/w-22/NIT/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० विवरण एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु पत्र संख्या-LC/HO/Projects/UP_JJM/GBNagar/2022-23/257 Date:-31-03-2023 के माध्यम से 11 नग डी०पी०आर० जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिनमें 11 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप जल निगम कार्यालय द्वारा जाँच की गई है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत विभागीय सेंटेंज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेंटेंज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय कर भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार Ultimate Design Year के लिये योजना हेतु Per Capita Cost की दर रु 9000.00 निर्धारित की गई है तथा उक्त आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सी तथा जी०एस०टी० को लिया गया है। मैसर्स एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाइन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कॉस्ट (रु०करोड़)	सेंटेंज (रु०करोड़)	कुल लागत (रु० करोड़)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाइन वर्ष 2052 हेतु (रु०)
1	भोगपुर	दादरी	1	394	2503	2.12	0.23	2.35	8488
2	बसंतपुर बांगर	दादरी	1	172	1088	1.42	0.15	1.57	13055
3	तलाबपुर उर्फ हाथीपुर	बिसरख	1	197	1257	1.49	0.16	1.65	11837
4	दुरवाई	बिसरख	1	789	4574	3.06	0.32	3.39	6698
5	समसुदीनपुर	दादरी	1	614	3907	2.77	0.29	3.07	7098

ppr 6 Aug 2023

श्रीदत्तापुर	जेवर	2.42	0.26	2.67	2763	8746	307	78793	—	घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नहीं है।
श्रीमाना (पुर्नगठन)	बिसरख	2.58	0.27	2.85	13941	1851	1471	17539	31.75	प्रस्तावित वितरण प्रणाली कम होने के कारण योजना की प्रति कि०मी० मानक के अनुरूप नहीं है।
शमशम नगर	जेवर	1.93	0.20	2.14	2057	9403	253	76358	—	आवादी एवं घरों की संख्या कम होने के कारण योजना की प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति FHTC लागत मानक के अनुरूप नहीं है।

अतः प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार मुख्य अभियंता (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत मानक के अनुरूप नहीं पाई गई उपरोक्त समस्त 11 नग डी०पी०आर० को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा एवं स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा तत्काल समस्त 11 नग डी०पी०आर को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

अधिशाली अभियंता,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर
सदस्य सचिव।

जिला सूचना एवं
जन सम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
सदस्य।

जिला कृषि अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

अधिशाली अभियंता ग्राउंड वाटर,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

अधिशाली अभियंता सिचाई,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

जिला बेसिक सिंचना अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

प्रभागिय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

जिला विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

मुख्य विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, उपाध्यक्ष।

जिला अधिकारी
गौतमबुद्धनगर अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर।